उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 सं0 /2012/181(120)/XXVII(8)/2008

दिनांकः देहरादूनः । १३ सितम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2012

संक्षिप्त नाम और 1. प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 5 का संशोधन 2.

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 जिसे यहाँ "मूल नियम" कहा गया है, में—

(क) वर्तमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा: अर्थात—

5. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर अदा करने का दायी प्रत्येक व्यौहारी, अपने आवर्त की विवरणी या अपने आर्वत की पुनरीक्षित विवरणी उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम 11 में विहित प्ररूप और रीति के अनुसार और समय के अन्दर दाखिल करेगा।

(ख) नियम ५क हटा दिया जायेगा।

नियम ८ का संशोधन 3.

"मूल नियम" के नियम 8 में-

(क) वर्तमान उपनियम (22) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—

परन्तु यह है कि मूल्य वर्धित कर नियम के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत की गयी विवरणी के आधार पर बीजकों और चालानों के लिये, जो व्यापारी द्वारा ऐसी सावधिक विवरणियों के साथ विहित उपाबन्ध 17(सी), 17(एफ), 17(एच), 17(आई) अथवा 17(जे), जैसी भी स्थिति हो, में अपलोड़ की गयी हैं, के लिये ही घोषणा पत्रों को डाऊनलोड करने हेतु अनुझेय होंगी।

(ख) उपनियम (22) के पश्चात् नये उपनियम (23) एवं (24) जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्—

(23) इन नियमों में अन्य किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर,

ob ann

O Domap

उस तारीख से अथवा विवरणी की उस अवधि से, जैसा कि वह उचित समझें, कोरे घोषणा पत्रों(Blank Declaration Forms) के अग्रिम जारी करने की व्यवस्था को अधिसूचना द्वारा समाप्त कर सकते हैं और वाणिज्य कर विभाग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक विधि से जारी ऐसी रीति और ऐसे प्रतिबन्धों, जैसा कि किमश्नर विभाग की आधिकारिक वैबसाइट के माध्यम से निर्देशित करें, पंजीकृत ब्यौहारी केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित घोषणा पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

(24) इलैक्ट्रॉनिक विधि से जारी किये गये अथवा जनरेट / डाऊनलोड किये गये घोषणा पत्रों के लिये कोई फीस देय नहीं ; होगी।

> (राधा रतूड़ी) सचिव।

सं0 606 /2012/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक। प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:—

अधुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से, द्राची प्रामी (प्रदीप सिंह रावत) उपसचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.666 /2012/181(120)/XXVII (8)/2008 dated 13 September, 2012 for general information.

Uttarakhand Shasan VITTA ANUBHAG-8 No.606 / 2012/ 181(120)/XXVII(8)/2008

Dehradun:: Dated::/3 September, 2012

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956(Act No. 74 of 1956), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Central Sales Tax Rules, 2006.

The Uttarakhand Central Sales Tax (Amendment) Rules, 2012

Short title and Commencement

- (1) These rules may be called The Uttarakhand 1. Central Sales Tax (Amendment) Rules, 2012
 - (2) They shall come into force with immediate effect.

Amendment of Rule 5 2.

- In Uttarakhand Central Sales Tax Rules, 2006, herein referred to as the "Principal Rules"-
- (A) For the exiting rule 5, the following rule shall be substituted; namely -
- 5. Every dealer liable to pay tax under the Central Sales Tax Act shall submit return of his turnover or revise return of his turnover in such form and manner and within such time as prescribed in rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005(as amended from time to time).
- **(B)** Rule 5A shall be deleted.

Amendment of Rule 8 3.

In rule 8 of the Principal Rules-

(A) For the existing first proviso of sub-rule (22), the following proviso shall be substituted; namely-

Provided that downloading or electronic generation of declaration forms shall be permissible on the basis of online submitted VAT Returns only for the invoices or challans which are uploaded by the dealer in the prescribed annexure 17(C), 17(F), 17(H), 17(I) or 17(J) as the case may be along with such periodical returns.

- **(B)** After sub-rule (22), a new sub-rule (23) and (24) shall be added; namely-
- (23) Notwithstanding anything contained in these rules, Commissioner may, by issuing a notification, discontinue the system of issuance of blank declaration forms in advance from a date or from a period of a return which it deems fit and the registered dealer shall obtain the declaration prescribed under rule 12 of Central Sales Tax(Registration. and Turnover) Rules, 1957, issued by the Commercial Tax Department in an electronic form, in the manner and subject to the conditions as the Commissioner may direct through the official website of the department.

(24) No fee shall be payable for the electronic issuance or generation/ downloading of declaration forms.

(RADHA RATURI) SECRETARY